न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्याम सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या 506/2020

रामरतन पुत्र नाथू जाति गुर्जर निवासी सुराणा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थी**

बनाम

1. अर्जुन पुत्र माधा जाति गुर्जर, निवासी छारसा चौराया तन सुराणा तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

..... **रेस्पोडेन्ट**

2. गोपाल पुत्र माधा
3. छोटूराम पुत्र माधा
4. दुना देवी पत्नि सरदारा
5. रामनारायण पुत्र माधा
6. रामेश्वर पुत्र माधा
7. केसरी दवी पुत्री नाथू
8. छोटी देवी पुत्री नाथू
9. दाफा देवी पुत्री नाथू
10. मंगली देवी पुत्री नाथू
11. सन्ती देवी पुत्री नाथू
12. पारा देवी पत्नि नाथू
    समस्त जाति गुर्जर, निवासी सुराणा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
14. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
15. मैनेजर, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोरालाडखानी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

..... **तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स**

अपील विरूद्व प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 09.11.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 34/2020 उनवान अर्जुन बनाम गोपाल व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

बनवारी लाल शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी
मदनलाल कुडी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1

निर्णय दिनांकः 24/12/2021

:–निर्णय–:

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला जयपुर के वाद पत्र संख्या 34/2020 बउनवानी अर्जुन बनाम गोपाल व अन्य में पारित प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

09.11.2020 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नंबर 249, 250, 254, 255, 267, 267/1304, 268, 269, 811, 812, 813, 814, 815, 820 एवम् 821 कुल किता 15 कुल रकबा 5.41 हैक्टेयर ग्राम सुराणा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसके वादी व प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है। वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से पिछले 30 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व बाहमी बंटवारा कर लिया था उक्त बाहमी बंटवारे में वादी के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 821, 249, 255 व 250 रकबा 0.29 में से पश्चिम दिशा की 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 254 रकबा 0.36 में से पश्चिम दिशा की 0.05 हैक्टेयर एवम् खसरा नंबर 811 रकबा 0.76 हैक्टेयर में से दक्षिण दिशा की 0.30 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 1.35 हैक्टेयर भूमि आयी थी शेष भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में आयी थी। वादी एवं प्रतिवादीगण अपनी–अपनी बाहमी बंटवारे में आयी भूमि पर बंटवारे के समय से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है, वादी ने बाहमी बंटवारे में आयी उक्त भूमि को उपजाऊ बनाने में काफी पैसा खर्च किया है तथा खसरा नंबर 254 की पश्चिम दिशा की 0.05 हैक्टेयर भूमि में पुख्ता मकान बना रखा है तथा थडी रख रखी है जिसमें वादी चायपानी की होटल कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करता आ रहा है, वादी ने कच्चा घर व थडी में विद्युत कनेक्शन ले रखा है, वादी ने पुख्ता मकान, कच्चा घर, टीनशेड आदि को अपने निवास व कृषि उपज तथा कृषि यंत्रों के रख रखाव के काम में लेता आ रहा है। कुछ दिनों से प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखल उत्पन्न कर रहे है जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण से बाहमी बंटवारे अनुसार विधिवत बंटवारा करवाने के निवेदन किया तो प्रतिवादीगण काफी नाराज हो गये और उन्होने बाहमी बंटवारे के अनुसार आराजी का विधिवत बंटवारा करवाने से साफ इंकार कर दिया एवम् वादी को धमकी दी कि बिना बंटवारा कराये ही आराजी के विशिष्ट भू–भाग का बेचान अजनबी व्यक्ति को कर, वादी को उसके कब्जे काश्त की भूमि से जबरन बेदखल कर देगे। इस कारण वादी को अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षार्थ यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार कर, खसरा नंबर 249, 250, 254, 255, 267, 267/1304, 268, 269, 811, 812, 813, 814, 815, 820 एवम् 821 कुल किता 15 कुल रकबा 5.41 हैक्टेयर ग्राम सुराणा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाहमी बंटवारे अनुसार तकासमा किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी के बाहमी बंटवारे में आयी भूमि के कब्जेकाश्त में दखलअंदाजी न करें, ऐसा न तो स्वयं करें, न ही अपने किसी एजेन्ट–सर्वेन्ट इत्यादि से करावे। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनकर, बाद बहस मनन दिनांक 09.11.2020 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर, तहसीलदार शाहपुरा को खसरा नंबर 249, 250, 254, 255, 267, 267/1304, 268, 269, 811, 812, 813, 814, 815, 820 एवम् 821 कुल किता 15 कुल रकबा 5.41 हैक्टेयर ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के मौके पर जाकर पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा एवम् मौके पर कब्जे काश्त को मध्यनजर रखते हुए तथा राजस्व मंडल के निर्देशानुसार सरस–नरस के आधार पर बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर, कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, ना ही वाद बाबत सूचना दी गई, ना ही साक्ष्य सबूत पेश करने के लिए अवसर ही दिया गया है। अपीलान्ट आराजीयात का रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार है। विधिनुसार सहखातेदार का पक्ष सुना जाकर ही वाद में कोई कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है। वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई है, अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का अनुसरण न कर, मनमाने ढंग से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.11.2020 खारिज किये जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अभिभाषक अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुए, निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस तामील करवाये गये है, अपीलान्ट काफी तारीख पेशियां व्यतीत होने के उपरान्त भी जानबूझकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार शाहपुरा को वादग्रस्त आराजीयात के मौके पर जाकर, पक्षकारान् की उपस्थिति में कुरैजात तैयार कर, कुरैजात प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। वाद में कुरैजात आना अभी बाकी है। अपीलार्थी ने मात्र प्रकरण मे देरी करने के उद्देश्य से अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलार्थी मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जावे।

4. अभिभाषक पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद बाबत् बंटवारा एवम् स्थायी निषेधाज्ञा में पारित प्रारम्भिक निर्णय डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत हुई है जिसमें अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस एवम् अपील में मुख्य रूप से यह आपत्ति उठाई गई है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी तामील विधिवत तरीके से नहीं करवाई गई है जिसके अभाव में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री नियमित प्रक्रिया का अनुसरण न कर, पारित किये जाने से खारिज किये जावे। इस सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद का अवलोकन किया गया जिसके पैरा संख्या 1 में प्रश्नगत आराजी का कुल रकबा अंकित करते हुए वाद में वादी एवम् प्रतिवादीगण के निहित हिस्से का अंकन किया गया है एवम् दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हिस्सेनुसार प्रश्नगत आराजी का तकासमा चाहा गया है एवम् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पक्षकारान् के हिस्से अनुसार प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के सन्दर्भ में अपीलार्थी ने अपील एवम् अभिभाषक अपीलार्थी ने दौराने बहस इस प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं कराई है कि वादी द्वारा वाद के पैरा संख्या 1 में, जो पक्षकारान् के हिस्से दर्शाये गये है वह गलत है या राजस्व रिकॉर्ड में जो पक्षकारान् के हिस्से दर्ज है वे गलत है जब राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान् के हिस्सों का सही अंकन है एवम् प्रारम्भिक डिक्री के माध्यम से मात्र पक्षकारान् के हिस्से का ही बिन्दु निर्णित किया जाता है ऐसी परिस्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान् के दर्ज हिस्सेनुसार प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है वह किसी भी प्रकार से अनुचित प्रतीत नहीं होती है। पक्षकारान् के हिस्से अनुसार मौके पर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजीयात पक्षकारान् को दिये जाने का बिन्दु अन्तिम डिक्री में कुरैजात प्राप्त होने पर तय होना है जिस हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवम् तहसील के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09.11.2020 यथावत रखे जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5. अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर, अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.11.2020 यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 24/12/21 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर